प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,

संयुक्त सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक** 15 **मार्च, 2024**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेजो हेतु चिकित्सीय एवं गैर चिकित्सीय उपकरणों की मरम्मत/ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2023-24/900, दिनॉक 06.02.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेजो हेतु चिकित्सीय एवं गैर चिकित्सीय उपकरणों की मरम्मत/ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 हेतु रू0 1405.00 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने पर विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक-2210-05-105-03-76-राजकीय मेडिकल कालेजों में चिकित्सीय सेवाओं का संचालन हेतु 29-अनुरक्षण मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि रू0 960.00 लाख के सापेक्ष में चिकित्सीय/गैर चिकित्सीय उपकरणो की मरम्मत/ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 हेतु राजकीय मेडिकल कालेज, बाँदा को रू0 40.00 लाख, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा को रू0 20.00 लाख, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर को रू0 450.00 लाख, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज को रू0 50.00 लाख, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर को रू0 200.00 लाख तथा राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज में को रू0 200.00 लाख, इस प्रकार **कुल रू0 960.00 लाख (रुपये नौ करोड़ साठ लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति (संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसार) निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चि0शि0 का होगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गयी है।
3. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में नहीं की जायेगी।
4. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिनांक 31 मार्च, 2024 तक कर लिया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 9,60,00,000 (रुपये नौ करोड़ साठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुफान संख्या-031 लेखा शीर्षक 2210051050376 राजकीय मेडिकल कालेजों में चिकित्सीय सेवाओं का संचालन मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक -17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।
Digitally Signed by अनिल कुमार सिंह
Date: 14-03-2024 19:36:05
Reason: Approved

संख्या व तद्यदिनांक-उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, बांदा/आगरा/कानपुर/प्रयागराज/गोरखपुर/कन्नौज।
3. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, बांदा/आगरा/कानपुर/प्रयागराज/गोरखपुर/कन्नौज।
5. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, बांदा/आगरा/कानपुर/प्रयागराज/गोरखपुर/कन्नौज।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2753154/2024/ -1

बी एम-9 (भाग- 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

A071-2023-24-71-1002-30-2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेजों हेतु चिकित्सीय /गैर चिकित्सीय उपकरणों की मरम्मत/ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	2210011101506 (अपर इण्डिया सूगर एक्सेंज प्रसूति चिकित्सालय कानपुर (	01 (वेतन(	7,42,63,000 रुपये सात करोड़ बयालीस लाख त्रेसठ हजार मात्र	3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	- 3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	4,42,63,000	2023 - 2024
031	2210011101510 (संक्रामक रोग चिकित्सालय , कानपुर (	01 (वेतन(	3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	1,40,00,000 रुपये एक करोड़ चालीस लाख मात्र	- 1,40,00,000 रुपये एक करोड़ चालीस लाख मात्र	1,60,00,000	2023 - 2024
031	2210051050341 (मेडिकल कालेज मेरठ (	21 (छात्रवृत्ति	65,48,00,000 रुपये पैंसठ करोड़	7,18,00,000 रुपये सात करोड़	- 7,18,00,000 रुपये सात	58,30,00,000	2023 - 2024

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2753154/2024/ -1

		यां और छात्रवेतन(	अड़तालीस लाख मात्र	अठारह लाख मात्र	करोड़ अठारह लाख मात्र		
031	2210011101510 (संक्रामक रोग चिकित्सालय , कानपुर (	03 (मंहगाई भत्ता(	1,35,00,000 रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख मात्र	73,00,000 रुपये तिहत्तर लाख मात्र	-73,00,000 रुपये तिहत्तर लाख मात्र	62,00,000	2023 - 2024
031	2210011101506 (अपर इण्डिया सूगर एक्सेंज प्रसूति चिकित्सालय कानपुर (	03 (मंहगाई भत्ता(	3,34,18,000 रुपये तीन करोड़ चौंतीस लाख अठारह हजार मात्र	1,74,00,000 रुपये एक करोड़ चौहत्तर लाख मात्र	-1,74,00,000 रुपये एक करोड़ चौहत्तर लाख मात्र	1,60,18,000	2023 - 2024

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध विनियोग /	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	2210051050376 (राजकीय मेडिकल कालेजों में चिकित्सीय सेवाओं का संचालन (	29 (अनुरक्षण(	24,00,00,000 रुपये चौबीस करोड़ मात्र	9,60,00,000 रुपये नौ करोड़ साठ लाख मात्र	33,60,00,000	2023-2024

कृपया उपर्युक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासकीय विभाग को अनुमोदन देना चाहें:-

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष में अपर इण्डिया सूगर एक्सचेंज प्रसूति चिकित्सालय , कानपुर हेतु वेतनादि मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 474.00 लाख एवं संक्रामक रोग चिकित्सालय , कानपुर हेतु वेतनादि मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 213.00 लाख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2753154/2024/ -1

, कुल रू0 687.00 लाख तथा मेडिकल कालेज , मेरठ के छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 718.00 लाख , इस प्रकार कुल रू0 1405.00 लाख की बचत सम्भावित है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में 29-अनुरक्षण मद में राजकीय मेडिकल कालेज , बांदा को रू0 40.00 लाख, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा केा रू0 20.00 लाख, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर को रू0 450.00 लाख, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज को रू0 50.00 लाख, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर को रू0 200.00 लाख एवं राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज को रू0 200.00 लाख, इस प्रकार चिकित्सीय/गैर चिकित्सीय उपकरणो की मरम्मत/ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 हेतु लम्बित देयकों एवं आगामी माहों की आवश्यकता के दृष्टिगत मानक मद-29-अनुरक्षण हेतु कुल धनराशि रू0 960.00 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या: आर ई-बजट-1-583-2023-24, दिनांक 09 मार्च, 2024

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एंव हकदारी) प्रथम/द्वितीय,
उ0प्र0, प्रयागराज।

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, बांदा/आगरा/कानुपर/ प्रयागराज/ गोरखपुर/कन्नौज।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।